फा.सं-12026/01/2023-रा.भा. (का-2)-पार्ट
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

दिनाँक: 25 अप्रैल, 2023

परिपत्र

विषय: केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/अनुवादकों के लिए 26 मई, 2023 को आयोजित होने वाली द्वितीय तकनीकी संगोष्ठी के अवसर पर 02 मई, 2023 को होने वाली **वाद-विवाद प्रतियोगिता** के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के 14 अप्रैल, 2023 के समसंख्यक परिपत्र का संदर्भ लें जिसमें द्वितीय तकनीकी संगोष्ठी के अवसर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कराए जाने का उल्लेख है। अन्य प्रतियोगिताओं के अलावा, 02 मई, 2023 को वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वाद-विवाद प्रतियोगिता के लिए अधिकतम 5 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रतिभागी विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में अपने विचार/तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतियोगिता के संबंध में निर्णायकों का निर्णय अंतिम होगा। प्रतिभागियों की अधिक संख्या देखते हुए वाद-विवाद के लिए निम्नलिखित 3 विषय निर्धारित किए गए हैं-

1. प्रत्येक काम ऑनलाइन करना हमें आलसी बना रहा है
2. अपराध जघन्य है तो नाबालिगों को भी बालिगों की तरह सज़ा मिलनी चाहिए
3. निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय

जिन प्रतिभागियों ने वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम भेजा है, उनसे अनुरोध है कि वे rajesh.srivastva@nic.in अथवा sandeepkumar.moca@nic.in पर 28 अप्रैल, 2023 तक हर हाल में यह बताएं कि **वे उपर्युक्त तीन में से किस विषय पर बोलना चाहते हैं और यह भी बताएं कि वे विषय के पक्ष में बोलना चाहते हैं अथवा विपक्ष में।** कृपया सही ईमेल पता टाइप करना सुनिश्चित करें।

सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व प्रतियोगिता स्थल (प्रथम तल, एनडीसीसी भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली) पर उपस्थित हो जाएं। कोई भी प्रतियोगिता आरंभ हो जाने के पश्चात किसी प्रतिभागी को प्रतियोगिता में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(राजेश कु. श्रीवास्तव)
उप-निदेशक (रा.भा./नीति)
दूरभाष- 23438251

सेवा में,

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारी/अनुवादक (वाद-विवाद प्रतियोगिता के लिए नामांकन भेजने वाले अधिकारी एवं अनुवादक)

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. सचिव, राजभाषा विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान निजी सचिव